

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गुरजन्त सिंह आदि बनाम प्रीतम सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88,188,91,92ए आरटीए मुकदमा नं. 120/2016

निर्णय दिनांक :- 28.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई सबस उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह पेश होने पर आदेश
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88,188,91,92ए राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 44 एक की
जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 47/45 के मुर्ब्बा नम्बर 1, मुर्ब्बा
नम्बर 5, मुर्ब्बा नम्बर 63, मुर्ब्बा नम्बर 69/27 की कुल 12.144 हेक्टेयर नहरी मय
गैरमुमकिन खाला भूमि में से प्रतिवादीगण प्रीतम सिंह व मेजर सिंह का नाम कलमजम
किया जाकर उनके नाम दर्ज 1.198 हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत बैयनामाजात दिनांक 13.
02.1979 की रूह से वादीगण गुरजन्त सिंह पुत्र रूप सिंह जाति जटसिख निवासी
बंडिगा, कुलदीप सिंह पुत्र शेर सिंह जाति जटसिख निवासी बंडिगा, नन्द कौर पत्नी जीत
सिंह जाति जटसिख निवासी बंडिगा तहसील श्री करणपुर के नाम खातेदारी दर्ज किये
जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।
उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 28.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 29.06.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/376

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार
पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर